न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 70 / 2021

1. कालूशाह वल्द करीम शाह , जाति साई (मुसलमान) निवासी ग्राम जेठाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर ..प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन ......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री सर्वेश्वरप्रसादसिंह राठौड – अभिभाषक प्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 08.04.2021

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थी के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम जेठाना स्थित संवत 2041–41 के खाता संख्या नया 39 पुराना 39 के खसरा सख्या 3039, 3041 रकबा 06–19–10 की कृषि आराजी प्रार्थी के पिता करीमशाह वल्द वजीरशाह व शकूरशाह वल्द वजीरशाह कौम साईं फकीर निवासी जेठाना की रही है। जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा आता है। प्रार्थी के पिता के फौत होने पर उनके विधिक वारीसान विरासत का नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 299 दिनांक 14.06.1992 को खोला गया था। उक्त खसरा संख्या के आधारभूत खसरा सख्या 3985, 3986, 3987, 3990, 3990/5992 रकबा 1.13 है0 कायम किया गये जिसमें भू प्रबन्ध विभाग ने पुनः प्रार्थी के पिता के नाम अकंन कर दिया गया। जिसे दुरूस्त फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को सम्मन जारी किया गया । राजहित प्रभावित नहीं होने से सरकार पेरोकार का जवाब बंद किया जाता है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है । **तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम जेठाना के वर्तमान खाता संख्या 139 नया 114 पुराना के खसरा सख्या 3985, 3986, 3987, 3990, 3990/5992 रकबा 1.13 है0 पर प्रार्थी के पिता करीमशाह वल्द वजीरशाह की जगह नामान्तकरण संख्या 299 दिनांक 14.06.1992 के अनुसार प्रार्थी के नाम अकंन किया जावे। शेष यथावत।**

निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलेक्टर
पीसांगन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंनं (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 70/2021

कालूशाह वल्द करीम शाह , जाति साई (मुसलमान) निवासी
ग्राम जेठाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर ..प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन
......अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– श्री सर्वेश्वरप्रसादसिंह राठौड – अभिभाषक प्रार्थी

–: डिक्री :– दिनांक 08.04.2021

श्री समदरसिंह भाटी उपखण्ड अधिकारी पीसागंन व श्री सर्वेश्वरप्रसादसिंह राठौड वादी मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रार्थना पत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है **तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम जेठाना के वर्तमान खाता संख्या 139 नया 114 पुराना के खसरा सख्या 3985, 3986, 3987, 3990, 3990/5992 रकबा 1.13 है0 पर प्रार्थी के पिता करीमशाह वल्द वजीरशाह की जगह नामान्तकरण संख्या 299 दिनांक 14.06.1992 के अनुसार प्रार्थी के नाम अकंन किया जावे। शेष यथावत।**

वदखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 08.04.2021 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अर्जी दावा	स्टाम्प अर्जी
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	फीस कमिश्नर
फीस कमिश्नर	खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान	बाबत इजराय हुकमनामा
बाबत इजराय हुकमनामा	बाबत इजराय हुकमनामा
तफरीस	मुतफरीस
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन